

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

13.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2529 का उत्तर

रेल दुर्घटनाओं के कारण वन्यजीवों की मौतें

2529. सुश्री दोला सेन:

श्रीमती सागरिका घोष:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2025 के दौरान वन्यजीवों से जुड़ी रेल दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है;
- (ख) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने, आवश्यक प्रवासन को सुगम बनाने और पशु जीवन की हानि को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ग) पश्चिम बंगाल के रेलवे नेटवर्क में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित घुसपैठ पहचान प्रणाली (आईडीएस) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति और वह अनुमानित समय-सीमा क्या है जिसके भीतर पूरे राज्य को शामिल किए जाने की उम्मीद है; और
- (घ) क्या सरकार ने रेल दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में कृत्रिम हाथी गलियारे स्थापित करने की आवश्यकता के संबंध में कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समन्वय से रेल मंत्रालय ने हाथियों के रेल पटरियों पर टकराने से बचने के लिए कई सुरक्षा उपाय किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

(i) नवोन्मेषी उपाय के तहत रेलपथ पर हाथियों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए वितरित ध्वनिक सेंसर (डीएस) का उपयोग करके एआई-चालित घुसपैठ संसूचन प्रणाली (आईडीएस) विकसित की गई है। इस प्रणाली के घटकों में ऑप्टिकल फाइबर, हार्डवेयर और हाथियों के चलने के पूर्व-स्थापित सिग्नल शामिल हैं। यह प्रणाली लोको पायलटों, स्टेशन मास्टरों और नियंत्रण कक्ष को रेलपथ के समीप हाथियों की उपस्थिति के बारे में समय पर निवारक कार्रवाई करने के लिए सचेत करती है।

वर्तमान में, आईडीएस प्रणाली पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में वन विभाग द्वारा चिह्नित महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थलों पर 141 मार्ग किलोमीटर पर कार्य कर रही है।

भारतीय रेल में चिह्नित गलियारों के लिए आईडीएस कार्यों की भी स्वीकृति दी गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर सीमा रेल (403.42 मार्ग कि.मी.), पूर्व तट रेलवे (368.70 मार्ग कि.मी.), दक्षिण रेलवे (55.85 मार्ग कि.मी.), उत्तर रेलवे (52 मार्ग कि.मी.), दक्षिण पूर्व रेलवे (55 मार्ग कि.मी.), पूर्वोत्तर रेलवे (99.18 मार्ग कि.मी.), पश्चिम रेलवे (115 मार्ग कि.मी.) और पूर्व मध्य रेलवे (20.3 मार्ग कि.मी.) शामिल हैं।

(ii) रेलगाड़ी के साथ हाथी के टकराने की घटना होने पर इस मामले की जांच वन विभाग के सहयोग से क्षेत्रीय रेलवे द्वारा की जाती है और तदनुसार तात्कालिक कार्रवाई की जाती है। इनमें चिह्नित स्थानों पर उचित गति प्रतिबंध लागू करना और ट्रेन क्रू को तथा स्टेशन मास्टर को सचेत करना शामिल है। ट्रेन क्रू को अपडेट करने और संवेदीकरण के लिए संबंधित वन अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं। पिछले पांच वर्षों में औसतन 16 दुर्घटनाएं हुई हैं।

(iii) चिह्नित स्थानों पर हाथियों की आवाजाही के लिए अंडरपास और रैंप का निर्माण।

(iv) रेलपथ के साथ-साथ बाड़ लगाने का प्रावधान।

(v) सभी चिह्नित हाथी गलियारों पर संकेत बोर्डों की व्यवस्था करना ताकि लोको पायलटों को पूर्व सूचना दी जा सके।

(vi) रेलवे भूमि के भीतर रेलपथ के चारों ओर वनस्पति और खाद्य पदार्थों की साफ-सफाई करना।

(vii) वन क्षेत्र में सौर प्रणाली वाली एलईडी लाइटें लगाना।

(viii) स्टेशन मास्टर और लोको पायलटों को चेतावनी देकर समय पर कार्रवाई करने के लिए वन विभाग द्वारा एलीफेंट ट्रैकर लगाए गए हैं।

(ix) रेलपथ के पास वन्य जीवों/हाथियों की आवाजाही को रोकने के लिए, रेलवे क्रॉसिंग पर नवोन्मेषी हनी बी बजर उपकरण लगाए गए हैं। इस उपकरण से निकलने वाली ध्वनि हाथियों को रेलपथ से दूर करने के लिए रोधक के रूप में कार्य करती है।

(x) रात के समय/कम दृश्यता के दौरान सीधे रेलपथ पर जंगली जानवरों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए थर्मल विजन कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, जो जंगली जानवरों की मौजूदगी के बारे में लोको पायलटों को सतर्क करता है।